अजीत सिंह बनाम मीराम सिंह वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. 140/2021
3.1.2022 हाजिर पक्षकारान राजीनामा पेश कर दिया नकल हासिल की 3/1/2022	पक्षकारान् ने प्रकरण मे प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष मे राजीनामा पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर मे लोक अदालत की भावना से बरूए राजीनामा निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित फॉलोअप शिविर में ग्राम पंचायत जोरावर नगर मे आयोजित शिविर के मजमें–ए–आम में सुनाया गया। 03/01/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
140 / 2021	2021 / 338	13.12.2021	03.01.2022

उनवान

1. अजीतसिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 61 साल
2. उच्छब कंवर पत्नी स्व0 नारायणसिंह उम्र 90 साल
3. पान कंवर पत्नी स्व0 प्रभुसिंह पुत्रवधु नारायण सिंह उम्र– 65 साल
4. राजेश सिंह पुत्र भवानी सिंह पौत्र नारायणसिंह उम्र– 35 साल
5. मनोहर सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र –57 साल
6. सुन्दर कंवर पुत्र नारायण सिंह उम्र–63 साल
7. सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह उम्र– 58 साल
8. सुरेश सिंह पुत्र गिरधारी सिंह उम्र– 66 साल
9. सुमेर सिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र– 62 साल
10. हरिओम सिंह पुत्र सवाई सिंह उम्र– 58 साल

समस्त जाति राजपूत निवासीगण जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. नीलम सिंह पुत्र गंगा सिंह उम्र– 55 साल
2. मा..दीन सिंह पुत्र गंगासिंह उम्र– 50 साल

समस्त जाति राजपूत निवासीगण जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर

3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रामसिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण नं. 1 से 2 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 3

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

07/1/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 500/2, 515/2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6115 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 141/3154 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो गलत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 565, 566, 568, 570, 571/2, 572/2 कुल किता 6 कुल रकबा 7.9111 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 141/3154 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 652, 665, 666, 681 से 687 कुल किता 10 कुल रकबा 8.7000 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 141/3154 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 516/2 कुल रकबा 0.1764 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता तन् ग्राम जोरावर नगर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 141/3154 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 27, 29, 30, 32, 33 कुल किता 5 कुल रकबा 6.96 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/48 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 कुल रकबा 0.0200 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/48 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 39, 40, 42, 43, 44 कुल किता 7 कुल रकबा 4.000 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर के [illegible] खातेदारी में हिस्सा 1/72 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/72 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/72 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। वा[illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में एक ही परिवार खानदान से है जो प्रस्तुत सजरा ख[illegible]न अनुसार है। उक्त सजरा खानदान अनुसार पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में एक ही परिवार खानदान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested

07/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है एंव उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ स्वर्गीय गंगासिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि पारिवारिक बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण के हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त में आई हुई है जो हिस्सानुसार 1/3 हिस्सा नारायणसिंह के वारिसान् एंव 1/3 हिस्सा गिरधारी सिंह के वारिस एंव 1/3 हिस्सा सवाईसिंह के वारिसान के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुई है। इसी अनुसार वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव इनकी माता मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह का हक अलमशहूर कुआ नवोड़ा में था जो इन्होने अपना हक विक्रय कर दिया तथा उच्छव कंवर पत्नी सवाईसिंह फौत हो चुकी है जिनके कायम मुकामान् वारिसान् वादीगण सुमेरसिंह व हरिओमसिंह है तथा खातेदार कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एंव वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर दावा पेश करना आवश्यक होने पर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 3 के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में दिनांक 21.12.2021 को राजीनामा पेश किया गया। वादीगण साक्ष्य में वादी अजीतसिंह पुत्र नारायण सिंह व वादीगण गवाह में महावीर सिंह व रघुवीर सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी नं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत जोरावरनगर में आयोजित फॉलो अप शिविर में लोक अदालत की भावना से आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:33:52 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत जोरावरनगर में आयोजित फॉलो अप शिविर में लोक अदालत की भावना से वादपत्र में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण पक्षकारान्

07/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की है। वकुलाय उभय पक्षकारान् व उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 व अन्य जमाबन्दियों के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उनमें कुछ खातों में हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 141/3154 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 141/3154 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज है एंव कुछ खातों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/48 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/48 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम एंव कुछ खातों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा 1/72 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/72 प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/72 मृत्तका कमल कॅवर पत्नी गंगासिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो गलत दर्ज होना वकील वादीगण द्वारा कथन किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना प्रकट होता है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार खानदान से होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्टतः प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एंव प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से एंव वादीगण साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में वादी एवं वादी ... के द्वारा पेश शपथ पत्रों से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में ... है। जिनके आधार पर एंव प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर लोक अदालत ... वादीगण के हक में वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 के फॉलो अप शिविर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested

07/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ग्राम पंचायत जोरावर नगर के मजमें–ए–आम में उपस्थित मौतबिरान के समक्ष स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा अवस्थित तन् ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 500/2, 515/2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6115 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 565, 566, 568, 570, 571/2, 572/2 कुल किता 6 कुल रकबा 7.9111 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 652, 665, 666, 681 से 687 कुल किता 10 कुल रकबा 8.7000 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 516/2 रकबा 0.1764 हैक्टर गै० मु. रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 141/3154 एंव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा 141/3154 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज हिस्सा 141/3154 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की भूमि में वादीगण को हिस्सानुसार वादीगण संख्या 1 ता 7 को हिस्सा 1/3 एंव वादी संख्या 8 को हिस्सा 1/3 एंव वादी संख्या 9 व 10 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 27, 29, 30, 32, 33 कुल किता 5 कुल रकबा 6.9600 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 31 रकबा 0.0200 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/48 एंव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा 1/48 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/48 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी गंगासिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की भूमि में वादीगण को हिस्सानुसार वादीगण संख्या 1 ता 7 को 1/3 एंव वादी संख्या 8 को हिस्सा 1/3 एंव वादी संख्या 9 [illegible] हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव इसी प्रकार कृषि [illegible] 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44 कुल किता 7 कुल रकबा 4.000 हैक्टर में प्रतिवादी [illegible]1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/72 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा 1/72 एंव मृत्त[illegible] कमल कंवर पत्नी गंगासिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/72 की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव मृत्तका कमल कंवर पत्नी

03/2/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested

गंगासिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की भूमि में वादीगण को हिस्सानुसार वादीगण संख्या 1 ता 7 को 1/3 एंव वादी संख्या 8 को हिस्सा 1/3 एंव वादी संख्या 9 व 10 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव उक्तानुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाकर बाकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर रखी जाती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करे, ना ही दीगर से करवाये। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। किया इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

03/01/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित फॉलोअप शिविर में ग्राम पंचायत जोरावर नगर में आयोजित शिविर के मजमें–ए–आम में सुनाया गया।

03/01/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:52 IST
Reason: SelfAttested